

क्र.स.
सेवा में,

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा
683

दिनांक :- 09/09/2024

श्रीमान उपवन संरक्षक

बारों

विषय :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri

प्रसंग :- Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक
8B/Raj./06/35/2015/FC/857 Dt. 03.09.2020 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में
Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri हेतु वन
भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

शर्त संख्या	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/धरण -द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये। सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible. A mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त सं. 3 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है।, ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारों) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है।
4	The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.	शर्त सं. 4 की अनुपालना में गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत और सीए भूमि पर यदि आवश्यक हो तो सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थायी स्तम्भों के निर्माण की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पास अधिम रूप से जमा करा दी जायेगी तथा सीए को 10 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा यदि इस योजना में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत में यदि वृद्धि होती है तो एजेंसी द्वारा उक्त वृद्धि को जमा करा दिया जायेगा।

6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	शर्त सं. 6 की अनुपालना में राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा दी गई है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 के आदेश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को खायवर्ट किया जाना है। 09.05.2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 5-1/1998 एफसी 1/18/09 दिनांक 18/09 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5-2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5-3/2007-एफसी दिनांक 05/02/2009।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त सं. 7 की अनुपालना में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद खायवर्ट वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि 854651.40 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपयुक्त राशि को जमा करा दिया गया है।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त सं. 8 की अनुपालना में एफआरए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
9	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	शर्त सं. 9 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों और केंद्रीय कगार पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तकमीने में नहीं लिया गया है।
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas / Forest Area.	शर्त सं. 10 की अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक साइनेज उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्च पर लगा दिए जायेंगे।
11	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.	शर्त सं. 11 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेंगे।
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the Provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त सं. 12 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी यदि लागू होगी तो उपयोगकर्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त सं. 13 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है।
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त सं. 14 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

15	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त सं. 15 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
16	Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel. Shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त सं. 16 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	शर्त सं. 17 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to the be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.	शर्त सं. 18 की अनुपालना में इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त सं. 19 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without priour approval of Govt. of India.	शर्त सं. 20 उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
21	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the Moff&CC Guideline F.No. 11-42-2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त सं. 21 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो 1980 एवं Moff&CC गाइडलाइन एफ नं. के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। 11-42-2017 एफसी दिनांक 29.01.2018।
22	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त सं. 22 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा संबंधित डीएफओ से एफसीए प्रमाण पत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
23	Any other condition that the Ministry of Enviornment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.	शर्त सं. 23 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा परियोजना के तहत प्राप्त सभी धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा फंड में स्थानान्तरित कर दी गयी है।
24	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 24 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अनुपाल रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/चरण -द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये।


(नरेंद्र सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 आवासिनी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
 नि.वि.

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

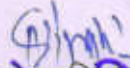
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा ।


(सुरेश सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा. नि. वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

दिनांक :

क्रमांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2
की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने
के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

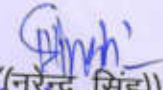
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है।, ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारों) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड - छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की
अनुपालना में गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया
जायेगा।

(चरन्द सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत और सीए भूमि पर यदि आवश्यक हो तो सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थायी स्तम्भों के निर्माण की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा करा दी जायेगी तथा सीए को 10 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा यदि इस योजना में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत में यदि वृद्धि होती है तो एजेंसी द्वारा उक्त वृद्धि को जमा करा दिया जायेगा।


(**ज्योति सिंह**)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
जिला बारों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा दी गई हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2022, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.2008 के आदेश के अनुसार उपयोक्ता एजेंसी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना है। 09.05.2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 5-1/1998 एफसी (पीटीII) दिनांक 18/09 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5-2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5-3/2007-एफसी दिनांक 05/02/2009


(नरेश सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में विषेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद डायवर्टेड वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि 854651.40 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपयुक्त राशि को जमा करा दिया गया है।

(*Girish*)
(**गिरिश सिंह**)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की
अनुपालना में एफआरए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण
पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है।
प्रति संलग्न है।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
नि. वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर केंद्रीय कगार पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तकमीने में नहीं लिया गया है।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा. नि. वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की
अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक
साइनेज उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगा दिए जायेंगे।

(नरेंद्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा. नि. वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में उपयोग कर्ता एजेन्सी द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेंगे।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की
अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी यदि लागू होगी तो उपयोगकर्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण)
अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में उपयोग कर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा. नि. वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

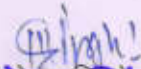
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की
अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का
लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

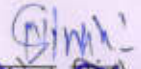
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की
अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार
का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
जिला बारों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

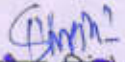
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
जिला बारों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

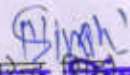
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 18 की
अनुपालना में इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना
जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
जिला बारों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 19 की अनुपालना में
उपयोगकर्ता एजेंन्सी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के
अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 20 उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की किया जायेगा।

(*(नरेंद्र सिंह)*)
(नरेंद्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा. नि. वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

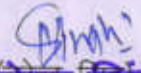
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 21 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो 1980 एवं Moff&CC गाइडलाइन एफ नं. के अनुसार उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। 11-42-2017 एफसी दिनांक 29.01.2018


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 22 की
अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित डीएफओ से एफसीए प्रमाण पत्र का कोई
उल्लंघन नहीं किया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 23 की
अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के तहत प्राप्त सभी धनराशि केवल
ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से कैम्पा फंड में स्थानान्तरित कर दी गयी
है।

(नरेश सिंह)
(नरेश सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
जिला बारों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 24 की अनुपालना में
उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर
अपलोड कर दी जायेगी।

(नरेंद्र सिंह)
(नरेंद्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/चरण -द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये।

()
(ज्योती सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

Reference No: 50171849

TV NO:- 644-66
Date:- 21/02/2024Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Jan/2024

Department Code : 65

Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of : EX. EN. P.W.D. Div. CHHABARA(9086)

OfficerID : 9086

Bill For Works Payment : WAM Payment

Reference No : 3871651

Wam Reference No : #1/1 of 884790

Division Name : PWD CHHABARA

Division Code : 116

Bill No : 50171849

Date : 24/01/2024

Demand No : 44

DDO Code : 9086

TAN : JDHE00491B

Object Head : 21

Budget Head : 3054-04-800-02-01/SF/V

SF : 3028812.00 NonPlan : 0.00

NA : 0.00

Contingency Head :

To,

The Treasury/Sub Treasury Officer, CHHABARA

Please Order to pay ₹ 3028812 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Se



Digitally signed by NARENDRA SINGH
Date: 2024.01.20 20:12:13 +05:30
Reason: NARENDRA SINGH

Digital ESign of DDO

9414330683

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	RAJASTHAN CAMPA JAIPUR 9414330683	UNION BANK OF INDIA 150856110911432 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	3028812.00 3028812.00	3871651	

Gross Amount Rs. 3028812.00

B.T.Amount: Rs.

Net Amount:Rs. 3028812.00

Amount In Words : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE Only

Sign Of DDO with



Digitally signed by NARENDRA SINGH
Date: 2024.01.20 20:10:14 +05:30
Reason: NARENDRA SINGH

Digital ESign of DDO

For Accountant General Office

Treasury Voucher

Admitted ₹
Objected ₹

No:

Date:

Pay ₹ : 3028812.00

(In Words) : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE ONLY

B.T. Heads :

Total

(In Cash) ₹ : 3028812.00

(In Words) : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE ONLY

Auditor

Supt

Gaz Officer

Auditor

AAO-III

Treasury/Sub Treasury Officer ESign

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

PayManager Ref. Id(s): 3871651

Bill/Ref No.: 1028, Dated: 24/01/2024

Division Name: EX.EN. P.W.D. Div. CHHABARA

Division Code: 9086

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Hinglot to Madnakhedi via Haripura Bishankheda Road

Vendor Name: RAJASTHAN CAMPA

Sanction/Autorization/BillNo: 8B/RAJ/06/35/2015/FC Dated: 23/01/2024

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856110911432

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 30,28,812
(In Words) Rupees Thirty Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundreds Twelve Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-04-800-02-01-21-V-P	3028812	WorkId: 177683

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3871651	3054-04-800-02-01-21-V-P		3028812	WorkId: 177683
	Payment Through Treasury	3028812		

Net Amount Payable In Figures: 30,28,812

Net Amount Payable In Words: Rupees Thirty Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundreds Twelve Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

Raykomar
खंडीय लेखाकार
सांनिवि० खण्ड छद्डा

अधिकारी अभिलेखा
सा.नि.वि. खण्ड छद्डा
डी.डी.ओ. कोड : 9086

Rajkumar
स्वडीय लेखाकार
सा०नि०वि० खण्ड छबड़ा

अभिषेक
अधिशायी अभियन्ता
सा.मि.वि. खण्ड छबड़ा
डी.डी.ओ. कोड : 9086

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA
Application No.	6110911432
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/35/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, PWD DIV CHHABRA Baran
Amount(in Rs)	3028812/-

Amount in Words :Thirty Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856110911432 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA
Application No.	6110911432
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/35/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER, PWD DIV CHHABRA Baran
Amount(in Rs)	3028812/-

Amount in Words :Thirty Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856110911432 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Verified for ₹ 3028812/- Only

Only

सहायक अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-I, चबरा

Passed for Rs. 30,28,812/- only
(Rs. Thirty Lakh Twenty Eight
Thousand Eight Hundred Twelve
only)

CH: to: 3054 - RSM

अधिसाधी अभियन्ता

सा० नि० वि० खण्ड-चबरा

कमाक-एफ-4(5)()राजस्व/14/5614- 20

दिनांक 16.09.2014

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग की गई है। उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में आरक्षित (सेट-अपार्ट) की जाती है:-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (है०)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
			8 किता	62.24
2		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
			2 किता	38.91
3		ताखा	368	2.25
		कुल योग	11 किता	103.40 है०

नियमानुसार रेकार्ड में अंगल दरामद किया जावे।

52
(ललित कुमार गुप्ता)
जिला कलेक्टर

वा.४.

दिनांक 16.03.2014

खमाक-एफ-4(5)()राजस्व/14/ 5614-20

वि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :

1. उप जन सारक्षक, बारां।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलकट्टेट, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, साठनिवि० वृत्त, बारां।
4. अधिशाही अभियन्ता, साठनिवि० एन०एच०, बारां।
5. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
6. तहसीलदार, अन्ता।
7. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
बारा

Land to be allotted to Forest Department

As on 11.09.2014

PWD circle Baran

S. No.	Name Of Division	Name Of Tahsil	Name of Scheme	Name of Forest	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Old Cases						
1	Chhabra	Chhabarod	PMGSY	घाटरी से भटगाव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामली से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054/RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनखेड़ी बाबा हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	छल्दा से छट्टी	0.61	✓
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कादीली से साटखेड़ा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	मामीपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	डिकोनिया से कलावड़ा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहलपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	विधी से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.-76 किमी. 573/0 से धुआँ	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	रंजपुर से बरवा	0.55	✓
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	बरवा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	करवाधामा से बगलगाँव	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी कंदारकुई से सिलौरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	छावडा से हरिपुरा	1.00	✓
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलदाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	मोहनपुरा से घट्टा	0.50	✓
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	छपटोला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेड़ा डांग से पाटन	1.00	✓
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	कंदारकुई से मुहल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मंडरगढ़ से रमावली	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवाली से रनवाला	0.80	✓
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मोहनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ़ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवटी खुर्द से रामनरेश	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लखड़ाई से मामली काण दुर्जनपुरा	1.00	✓
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पट्टा सड़क	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	रंजपुर मुण्डावर सड़क (रंजपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atu	NH	जंजई	3.20	
29	NH Division	Atu	NH	खेडली गादिगा	1.02	
30	NH Division	Atu	NH	सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chhabarod	NH	बरडखड़ा	0.44	
32	NH Division	Chhabarod	NH	कालवा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chhabarod	NH	मदनपुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

1. घाटरी से मदनखेड़ी
2. रामगढ़ काला पट्टा सड़क

(सुनिल गायर)
आजीवन अभियंता
सांविधिक वृत्त बीर

वनविभाग, जिला, बारा (राजस्थान)

क्रमांक 3.52/2014 के जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा की बैठक आहूत की गई जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाले सड़कों के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भावना), अधिनियम 2006 में प्रस्तावित वन भूमि जिसके प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से इस आशय से प्राप्त हुए हैं कि इन प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। निम्न प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के प्रस्तावों से यह विदित हो चुका है कि निम्न प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। अतः प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र(फार्म-1) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

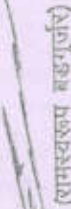
क्र.सं.	भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावित भूमि	वनखण्ड सीमा/नाका	प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	कोटा घरनावदा सड़क सी0सी0 निर्माण कार्य ग्राम-चाचौडा कि.मी. 132/500 से 134/200	छबडा	7.166	18.9.2014	20.10.2014
2	कोटा घरनावदा सड़क निर्माण कि.मी. 134/200 से 137/500	छबडा	6.418	16.10.2014	20.10.2014
3	हिंगलोड से मदनखेडी सड़क	छबडा	3.00	9.10.2014	20.10.2014



(सुनिल चिद्री)

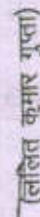
उप वन सहायक

बारा


(रामस्वरूप बडगुर्जर)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पट्टेन परियोजना अधिकारी-माडा जिला परिषद, बारा


(ललित कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 29/2014

Dated- 3 Dec., 2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Bharat Lal Meena Executive engineer Public Works Department Div.- Chabra** (name of user agency) for **Construction of Road Work From Hinglot to Madna Kheri** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Pali village(S) in Chabra tehsils.

It is Further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-(A) to annexure-(B)
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,
- (c) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)

President of District Level committees &

(Lalit Kumar Gupta)
District Collector & D.M.



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
 Ministry of Environment, Forest & Climate Change
 Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, 8^थ फ्लोर, सेक्टर 14, अलीगढ़, लखनऊ-226024, टेलीफोन-2326696
 ईमेल: eoz,the.mof@gov.in, envia.rediffmail.com

12-03-03/09/2020

पत्र संख्या: एफ/राज/06/35/2015/एफ.सी/857

संका में,

शारंग रायज(न),
 राजस्थान शासन,
 सिविल सचिवालय,
 जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/10911/2015

विषय: Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division.

सन्दर्भ: शारंग सचिव, राजस्थान का पत्रांक प.1(74)वन/2015, जयपुर, दिनांक 20.08.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के पत्रांक सं० एफ-14(2015/44/प्रमुपरा/590 दिनांक 23.07.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवस्तु प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षापोरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयवस्तु परियोजना हेतु कुल 2.27 हे० संरक्षित वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्ष पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्मातृलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the east of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
6. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.01.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.

Diverted regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Area Forest Area.

User agency shall provide suitable under over pass in Protected Area Forest Area as per recommendations of CWLW NBWL FAC REC.

User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

No labour camp shall be established on the forest land.

Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

1. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
2. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
3. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
4. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42 2017-FC dt 29/01/2018.
5. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
6. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
8. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of the compliance report from the State Government on fulfillment of the conditions mentioned above, final stage-II approval of the Central Government, in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, will be accorded.

भवदीय,

(प्राची गंगवार)

राज्य वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिनिधि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. राज्य वन संरक्षक (एफसी) एवं मास्टल अधिकारी, वन विभाग, अस्थायी भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जगपुर, जयपुर।
2. राज्य वन संरक्षक, जिला कार्यालय, रायपुर।
3. राज्य वन संरक्षक, जिला कार्यालय, रायपुर-सावली जिला कार्यालय।
4. राज्य वन संरक्षक, जिला कार्यालय, रायपुर-सावली जिला कार्यालय, लखनऊ एवं वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आवश्यक कार्यवाही।

(प्राची गंगवार)

राज्य वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

Copy of letter No.F.7 (1263)Sec.II/2008/D. 951 Dated 08-10-08 received from Addl. Secretary to Govt., PWD, Raj. Jaipur addressed to the Chief Engineer, PWD, Rajasthan, Jaipur.

Sub: - Administrative & financial sanction for Construction of road from Hinglot to Madankheri via Haripura, Madankheri in district Baran of Rajasthan under Rural Road during the year 2008-09.

I am directed to convey administrative & financial sanction of the Government for construction of road from Hinglot to Madankheri via Haripura, Madankheri in district Baran of Rajasthan under Rural Roads at an estimated cost of Rs.259.26 laes.

The expenditure will be charged to the Budget Head- "5054-Capital Outlay on Road & Bridges - 04 - Distt. & Other Roads - 800 - Other Expenditure - (02) - Other Road Construction Programme -[01] - Rural Roads - 74 - Construction of Road & Bridges Expenditure (Plan)" and expenditure shall be restricted within the over all Plan Ceiling of Road Sector during the current financial year and subsequent year.

This bears with concurrence of Finance(Exp.III) Deptt., vide I.D. No.1485/ FD(Exp.III)/2008 dated 08.09.2008.

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, PWD, RAJASTHAN, JAIPUR.

No.F.7 (1263) Sec.II/2008/D. 952

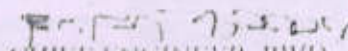
Dated 08/10/2008

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Addl. Chief Engineer, PWD, Zone - Kota.
2. Superintending Engineer, PWD, Circle - Baran.
3. Executive Engineer, PWD, Dist. Chhabra.
4. PA to CE(R-1)/ SE(R) E.E.(P&M-1 to V)/ DDS/ Budget Clerk/ Compilation Clerk/ DA (Plan), CE's Office, PWD, Raj., Jaipur.

In the estimate and all other future reference in regards to this sanction and also while making any expenditure against the sanctioned work and showing the same in monthly accounts of the Division. The Job No.132/5054/Rural Roads/Plan/2008-09 as assigned may invariably be written against the nomenclature of the sanctioned works.

The sanctioned cost is inclusive of percentage charges.


(CHIEF ENGINEER, PWD),
RAJASTHAN, JAIPUR.

As (mael)
✓

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न राहत परियोजनाओं के अन्तर्गत जिनका जमाद्वारा द्वारा आदेश क्रमांक 724-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 हे.मि) वन विभाग को वापस आवंटित की गई है।

उपरोक्त अन्ता गांव मोरखन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वापस की कार्य हो उपयुक्त है यह वनभूमि से खसवा है इसमें किसी प्रकार का कटौत अतिक्रमण एवं व्यापिक प्रकरण विचारणीय नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि गृह एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	वर्गीकृत	गांव	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		मोरखन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का वापस लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1. वनरक्षक *[Signature]*

2. गांव प्रभारी *[Signature]*

3. क्षेत्रीय वन अधिकारी *[Signature]*

हस्ताक्षर जमीन का वापस लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

4. वनसमन्वयक *[Signature]*

5. जलनियंत्रण *[Signature]*

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारौ

[Signature]
राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारौ

[Signature]

(असहकृत सत्यापन)
अतिरिक्ती अभियन्ता
आ.मि.वि. खण्ड भागबंद

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,136,149 (Village: BLANDI) KHASRA NO.: 1173,1175 (Village: BORCH) KHASRA NO.: 368 (Village: THAKA)
Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

KHASRA No.	Area in Hect.	VILLAGE
39	1.50	BLANDI
41	2.30	
42	5.80	
114	5.80	
115	5.80	
116	7.75	
136	13.51	
149	3.80	BORCH
1173	28.18	
1175	18.75	THAKA
368	2.20	

Revised Certificate Order 29/14 Dated 3-12-2014

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 4/2016

Dated- 25 Jan.,2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.27 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Shri Mukesh Gupta Executive engineer Public Works Department Div.- Chabra (name of user agency) for Construction of Road Work From Hinglot to Madna Kheri (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Pali village(s) in Chabra tehsils.

It is Further certified that:

- (d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.27 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-(A) to annexure-(C)
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,
- (f) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)
President of District Level committees &
District Collector, Baran
अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बाराँ

आज दिनांक 05/11/2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क हिंगलो से मदनखेड़ी जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवम् किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों को गान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है। ना ही वर्तमान में कोई लग्ग है। इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 14,15 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशप्ता की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण

संख्या नं	क्षेत्रफल	मालिक का नाम
229	0.17 Hect	हिंगलो
227	0.40 Hect	हिंगलो
161	0.07 Hect	विशनखेड़ा वन
345	0.57 Hect	विशनखेड़ा वन
348	0.41 Hect	विशनखेड़ा वन
178	0.26 Hect	मदनखेड़ी
167/588	0.39 Hect	मदनखेड़ी
Total	2.27 Hect	

05/11/15
राजेश गुप्ता, अध्यक्ष
ग्राम पञ्चायत पालिका
पं. स. मदनखेड़ा (राज.)

05/11/15
राजेश गुप्ता, अध्यक्ष
ग्राम पञ्चायत पालिका
पं. स. मदनखेड़ा (राज.)

1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31, 2031-32, 2032-33, 2033-34, 2034-35, 2035-36, 2036-37, 2037-38, 2038-39, 2039-40, 2040-41, 2041-42, 2042-43, 2043-44, 2044-45, 2045-46, 2046-47, 2047-48, 2048-49, 2049-50, 2050-51, 2051-52, 2052-53, 2053-54, 2054-55, 2055-56, 2056-57, 2057-58, 2058-59, 2059-60, 2060-61, 2061-62, 2062-63, 2063-64, 2064-65, 2065-66, 2066-67, 2067-68, 2068-69, 2069-70, 2070-71, 2071-72, 2072-73, 2073-74, 2074-75, 2075-76, 2076-77, 2077-78, 2078-79, 2079-80, 2080-81, 2081-82, 2082-83, 2083-84, 2084-85, 2085-86, 2086-87, 2087-88, 2088-89, 2089-90, 2090-91, 2091-92, 2092-93, 2093-94, 2094-95, 2095-96, 2096-97, 2097-98, 2098-99, 2099-00, 2100-01, 2101-02, 2102-03, 2103-04, 2104-05, 2105-06, 2106-07, 2107-08, 2108-09, 2109-10, 2110-11, 2111-12, 2112-13, 2113-14, 2114-15, 2115-16, 2116-17, 2117-18, 2118-19, 2119-20, 2120-21, 2121-22, 2122-23, 2123-24, 2124-25, 2125-26, 2126-27, 2127-28, 2128-29, 2129-30, 2130-31, 2131-32, 2132-33, 2133-34, 2134-35, 2135-36, 2136-37, 2137-38, 2138-39, 2139-40, 2140-41, 2141-42, 2142-43, 2143-44, 2144-45, 2145-46, 2146-47, 2147-48, 2148-49, 2149-50, 2150-51, 2151-52, 2152-53, 2153-54, 2154-55, 2155-56, 2156-57, 2157-58, 2158-59, 2159-60, 2160-61, 2161-62, 2162-63, 2163-64, 2164-65, 2165-66, 2166-67, 2167-68, 2168-69, 2169-70, 2170-71, 2171-72, 2172-73, 2173-74, 2174-75, 2175-76, 2176-77, 2177-78, 2178-79, 2179-80, 2180-81, 2181-82, 2182-83, 2183-84, 2184-85, 2185-86, 2186-87, 2187-88, 2188-89, 2189-90, 2190-91, 2191-92, 2192-93, 2193-94, 2194-95, 2195-96, 2196-97, 2197-98, 2198-99, 2199-00, 2200-01, 2201-02, 2202-03, 2203-04, 2204-05, 2205-06, 2206-07, 2207-08, 2208-09, 2209-10, 2210-11, 2211-12, 2212-13, 2213-14, 2214-15, 2215-16, 2216-17, 2217-18, 2218-19, 2219-20, 2220-21, 2221-22, 2222-23, 2223-24, 2224-25, 2225-26, 2226-27, 2227-28, 2228-29, 2229-30, 2230-31, 2231-32, 2232-33, 2233-34, 2234-35, 2235-36, 2236-37, 2237-38, 2238-39, 2239-40, 2240-41, 2241-42, 2242-43, 2243-44, 2244-45, 2245-46, 2246-47, 2247-48, 2248-49, 2249-50, 2250-51, 2251-52, 2252-53, 2253-54, 2254-55, 2255-56, 2256-57, 2257-58, 2258-59, 2259-60, 2260-61, 2261-62, 2262-63, 2263-64, 2264-65, 2265-66, 2266-67, 2267-68, 2268-69, 2269-70, 2270-71, 2271-72, 2272-73, 2273-74, 2274-75, 2275-76, 2276-77, 2277-78, 2278-79, 2279-80, 2280-81, 2281-82, 2282-83, 2283-84, 2284-85, 2285-86, 2286-87, 2287-88, 2288-89, 2289-90, 2290-91, 2291-92, 2292-93, 2293-94, 2294-95, 2295-96, 2296-97, 2297-98, 2298-99, 2299-00, 2300-01, 2301-02, 2302-03, 2303-04, 2304-05, 2305-06, 2306-07, 2307-08, 2308-09, 2309-10, 2310-11, 2311-12, 2312-13, 2313-14, 2314-15, 2315-16, 2316-17, 2317-18, 2318-19, 2319-20, 2320-21, 2321-22, 2322-23, 2323-24, 2324-25, 2325-26, 2326-27, 2327-28, 2328-29, 2329-30, 2330-31, 2331-32, 2332-33, 2333-34, 2334-35, 2335-36, 2336-37, 2337-38, 2338-39, 2339-40, 2340-41, 2341-42, 2342-43, 2343-44, 2344-45, 2345-46, 2346-47, 2347-48, 2348-49, 2349-50, 2350-51, 2351-52, 2352-53, 2353-54, 2354-55, 2355-56, 2356-57, 2357-58, 2358-59, 2359-60, 2360-61, 2361-62, 2362-63, 2363-64, 2364-65, 2365-66, 2366-67, 2367-68, 2368-69, 2369-70, 2370-71, 2371-72, 2372-73, 2373-74, 2374-75, 2375-76, 2376-77, 2377-78, 2378-79, 2379-80, 2380-81, 2381-82, 2382-83, 2383-84, 2384-85, 2385-86, 2386-87, 2387-88, 2388-89, 2389-90, 2390-91, 2391-92, 2392-93, 2393-94, 2394-95, 2395-96, 2396-97, 2397-98, 2398-99, 2399-00, 2400-01, 2401-02, 2402-03, 2403-04, 2404-05, 2405-06, 2406-07, 2407-08, 2408-09, 2409-10, 2410-11, 2411-12, 2412-13, 2413-14, 2414-15, 2415-16, 2416-17, 2417-18, 2418-19, 2419-20, 2420-21, 2421-22, 2422-23, 2423-24, 2424-25, 2425-26, 2426-27, 2427-28, 2428-29,

संख्या: २२८७४३

G. P. 11

xvi

陳氏之學，蓋自漢以來，而益益盛焉。其學之盛，蓋自漢以來，而益益盛焉。

आज दिनांक : 16/11/2015 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क हिंगलोट से मदनखेड़ी के लिए प्राप्त प्रस्ताव जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय समिति हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुरूपित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशप्ता की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण : ग्राम पंचायत पाली

खसरा नं.	क्षेत्रफल	गाँव का नाम
229	0.17 Hect	हिंगलोट
227	0.40 Hect	हिंगलोट
161	0.07 Hect	विशनखेड़ा चैन
345	0.57 Hect	विशनखेड़ा चैन
346	0.41 Hect	विशनखेड़ा चैन
178	0.26 Hect	मदन खेड़ी
167/588	0.38 Hect	मदन खेड़ी
Total	2.27 Hect	

उप खण्ड अधिकारी
हवाड़ा जिला कारा (राज.)
उपखण्ड 8451

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हवाड़ा

16/11/15
विकास अधिकारी
पं.स. 8451

सहायक वन संरक्षक
दीपावडी

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां(राज.) का बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.1.2016

आज दिनांक 25.1.2016 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें जिला बारा क्षेत्र में लगभग प्रस्तावित हेतु जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय खण्ड के प्रस्ताव खण्ड से प्रभावित वन क्षेत्र एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, खण्ड के पूर्व अनुसूचित प्रस्ताव संख्या- 27/14 व 28/14 का सम्मिलित प्रस्ताव एवं 28/14 पारित दिनांक 3.12.2014 में संशोधन किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त सभी प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों, एवं वडाई/खण्ड के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इन प्रस्तावों के अंतर्गत व परीक्षण करने से पता चला है कि प्रस्तावित वन भूमि पर एक अधिनियम के प्रस्तावों के तहत ग्राम स्तरीय हुआ है व ही वर्तमान में कोई दावा लगेयित है। फलस्वरूप अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय खण्ड से प्राप्त खण्ड से प्रभावित वन भूमि एवं जल 185.00 है। उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रस्तावित वन भूमि रकबा 7.168 हे. के स्थान पर 8.969 है, निर्माण विभाग खण्ड खण्ड के पूर्व में अनुसूचित प्रस्ताव संख्या 27/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 8.413 हे. के स्थान पर 8.589 है। एवं प्रस्ताव संख्या 29/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 3.33 हे. के स्थान पर 2.27 हे. की अनुसूचित वन भूमि है। उक्त प्रस्तावों के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत निर्धारित प्रस्ताव में प्रमाण पत्र प्रस्तुत से जहाँ है।

इन प्रस्तावों के अंतर्गत व परीक्षण करने से पता चला है कि प्रस्तावित वन भूमि पर एक अधिनियम के प्रस्तावों के तहत ग्राम स्तरीय हुआ है व ही वर्तमान में कोई दावा लगेयित है। फलस्वरूप अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय खण्ड से प्राप्त खण्ड से प्रभावित वन भूमि एवं जल 185.00 है। उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रस्तावित वन भूमि रकबा 7.168 हे. के स्थान पर 8.969 है, निर्माण विभाग खण्ड खण्ड के पूर्व में अनुसूचित प्रस्ताव संख्या 27/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 8.413 हे. के स्थान पर 8.589 है। एवं प्रस्ताव संख्या 29/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 3.33 हे. के स्थान पर 2.27 हे. की अनुसूचित वन भूमि है। उक्त प्रस्तावों के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत निर्धारित प्रस्ताव में प्रमाण पत्र प्रस्तुत से जहाँ है।

1- अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय खण्ड-

क्र.सं.	यूजर एजेंसी का नाम	का.	प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	वनाखण्ड सीमा/नाम	प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों के नाम व प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, खण्ड	खण्ड	खण्ड के पूर्व में अनुसूचित प्रस्ताव संख्या 27/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 8.413 हे. के स्थान पर 8.589 है। एवं प्रस्ताव संख्या 29/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 3.33 हे. के स्थान पर 2.27 हे. की अनुसूचित वन भूमि है। उक्त प्रस्तावों के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत निर्धारित प्रस्ताव में प्रमाण पत्र प्रस्तुत से जहाँ है।	अनुसूचित	140.00 हेक्टर	दीगोद खालसा	22.12.2015
				योग 185.00 हेक्टर		रोतकोल	5.12.2015


आयुक्त-स्व. जिला कलक्टर
 जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां
 सप वन संरक्षक
 बारां


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
 परि. अधि. गडा जिला परिषद, बारां


 25/1/2016
 जिला स्तरीय वनाधिकार समिति

2- अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा-

क्र.सं.	यूजर एजेंसी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	पूर्व में पारित प्रस्ताव		प्रस्तावित भूमि का विवरण		संशोधित प्रस्ताव हेतु ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक (15.10.2015)	संशोधित हेतु स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक (01.10.2015)
			प्रस्ताव सं.	दिनांक	प्लॉट नं.	संशोधित रकबा		
1	अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा पर-1 वद सड़क से 132/500	27/2014	3.12.2014	7.168 है.0	6.989 है.0	10.11.2015	10.11.2015
2	अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा बरनावरा सड़क से 132/200	28/2014	3.12.2014	6.416 है.0	6.589 है.0	10.11.2015	10.11.2015
3	अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	हिंगलोड से 137/500	29/2014	3.12.2014	3.00 है.0	2.27 है.0	10.11.2015	10.11.2015

(ललित कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति सदस्य
अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख

(धुनिल चिन्नी)

वन वन संरक्षक

बार

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, वाराणसी उप वन संरक्षक

(महेश चन्द भोवड़ा)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पट्टेन-रेवेन्यू अधिकारी-माछा जिला नरसिंग, वाराणसी

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पट्टेन
परिधि-माछा जिला नरसिंग, वाराणसी

(मिलाल मीणा)

स्वयंसेवा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, वाराणसी